

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

4

विषय:—कार्यपालन यंत्री (सिविल) से अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर डी.पी.सी. दि. 26.07.2008 की रिव्यू डी.पी.सी. दि. 07.11.2012 एवं दि. 31.08.2013 के परिप्रेक्ष्य में पुनः रिव्यू डी.पी.सी. दि. 22.04.2015 का कार्यवाही विवरण।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. प्रो.एस.पी.गौतम
सदस्य
म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
अध्यक्ष
2. श्री राधेश्याम जुलानिया
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
जल संसाधन विभाग, भोपाल
सदस्य
3. श्री एम.जी. चौबे,
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल
सदस्य
4. श्री एन.के.परिहार
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन, म.प्र., भोपाल
सदस्य
(म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम-11 के प्रावधान अनुसार

कार्यपालन यंत्री (सि.) से अधीक्षण यंत्री (सि.) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दि. 26.07.2008 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में रिक्त पदों की स्थिति एवं की गई अनुशंसा के आधार पर की गई पदोन्नति की जानकारी निम्नानुसार है :-

प्रवर्ग	पद
अनारक्षित	24
अनुसूचित जाति	04
अनुसूचित जनजाति	09

Mr
22.04.15

J

2. मान.उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 4410/97 एवं 236/98 में पारित आदेश दि. 23.07.2007 के पालन के लिए मान. उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 21131/1011 में पारित आदेश दि.12.03.2012 याचिका क्र. 6887/2012 (एस) में पारित आदेश दि. 18.07.2012 एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की याचिका क्र. 5004/2012 में पारित आदेश दि.18.07.2012 के पालन में सहायक यंत्री (सिविल)की पूर्व पदक्रम सूचियों को संशोधित करते हुए वर्ष 1981 में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा किये चयन के आधार पर सीधी भर्ती के सहायक यंत्री (सिविल) की वरीयताक्रम का निर्धारण आदेश दि. 06.08.2012 द्वारा किया गया।

3. वरिष्ठता पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप डी.पी.सी. दि.26.07.2008 के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डी.पी.सी. दि.7.11.2012 एवं दिनांक 31.08.2013 आयोजित कर पात्र अधिकारियों को अधीक्षण यंत्री के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई।

4. अधीक्षण यंत्री (सि.) से मुख्य अभियंता (सि.)के पद की रिव्यू डी.पी.सी. के लिए रोस्टर तैयार करते समय यह प्रकट हुआ कि दि. 26.07.2008 की रिव्यू डी.पी.सी. दि. 7.11.2012 एवं दि 31.08.2013 के लिए रोस्टर बनाने में त्रुटि होने से रिक्तियों की गणना में त्रुटि हुई है। त्रुटि का कारण यह रहा है कि पूर्व वर्षों की डी.पी.सी. की रिव्यू डी.पी.सी. करने के बाद कुछ अधिकारियों के नाम मूल डी.पी.सी.के आधार पर रोस्टर में बने रहे, जबकि रिव्यू डी.पी.सी. में वे पदोन्नत नहीं हुए थे। रिव्यू डी.पी.सी. के उपरांत जिन अधिकारियों के नाम अधीक्षण यंत्री के रोस्टर से हटाने आवश्यक थे, वे रोस्टर में हटाये नहीं जाने की चूक दृष्टिगत हुई है।

5. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के तहत बनाए गए रोस्टर अनुसार अधीक्षण यंत्री के पद के लिए निम्न रिक्तियाँ बताई गई :-

(अ) शुद्ध रिक्तियाँ :-

वर्ग	अनु.जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
रोस्टर के बिन्दु क्रमांक	6, 12, 17	9, 14, 20, 25, 28, 34, 39, 45	कोई रिक्ति नहीं

Amr
22.04.15

Ja
22.04.15

(ब) प्रतिनियुक्ति से रिक्तियाँ :-

वर्ग	अनु.जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु क्रमांक	42	कोई नहीं	11, 15, 27, 46

(स) सेवानिवृत्ति से रिक्तियाँ :-

वर्ग	अनु.जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु क्रमांक	48	कोई नहीं	1, 2, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33

6. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा बताई गई अधीक्षण यंत्री के पद के लिए निम्न रिक्तियों के लिए आज रिब्यू डीपीसी बैठक में विचार किया गया :-

विवरण	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा
शुद्ध रिक्तियाँ	00	03	08
सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियाँ	15	01	00
प्रतिनियुक्ति से प्राप्त रिक्तियाँ	04	01	00
उच्च पद पर पदोन्नति से रिक्तियाँ	06	00	01
योग	25	05	09

7. समिति ने निम्न अधिकारियों को अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया :-

(अ) अनारक्षित वर्ग

(i) उपयुक्त

स.क्र.	दि. 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम
1	490-23	श्री अजीत कुमार जैन
2	490-24	श्री देवेन्द्र कुमार स्वर्णकार
3	490-28	श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्र
4	490-33	श्री रघुनन्दन सिंह रघुवंशी
5	490-35	श्री हीरालाल त्रिपाठी

 

6	490-40	श्री राजकुमार जैन
7	490-42	श्री बृज मोहन शर्मा
8	490-46	श्री उत्तम चन्द्र जैन
9	490-47	श्री श्रीकान्त के दांडेकर
10	490-49	श्री सुधीर खरे
11	490-50	श्री मनोज कुमार आचार्य
12	490-56	श्री राकेश कुमार खण्डेलवाल
13	490-57	श्री बाबू लाल जोशी
14	490-60	श्री देवेन्द्र सिंह
15	490-61	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
16	490-67	श्री राजेन्द्र सिंह तोमर
17	490-71	श्री कोदू प्रसाद तिवारी
18	490-74	श्री कमलेश कुमार खरे
19	490-77	श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव
20	490-78	श्री श्रीकान्त निगम
21	490-80	श्री संतोष कुमार जैन
22	490-81	श्री अशोक कुमार जैन
23	490-82	श्री नरेन्द्र दवे
24	490-92	श्री सुरेन्द्र सिंह जादौन
25	490-93	श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय

(ii) बंद लिफाफे की अनुशंसाए - निरंक

(iii) परिभ्रमण के प्रकरण - निरंक

(IV) अनुपयुक्त

स. क	दि. 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्रि का नाम	कारण
1	490-88	श्री रामअवतार शर्मा	दण्ड प्रभावशील.

Amr.

J

(V) विचार नहीं किया

स. क्र	दि. 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्रों का नाम	कारण
1	490-86	श्री सुभाष आर. निभोरकर	निधन, गो.प्र.अनुपलब्ध

(ब) अनुसूचित जाति वर्ग

(i) उपयुक्त

स. क्र	दि. 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्रों का नाम
1	625-190	श्री गजाधर सुनैया
2	625-303	श्री राजेन्द्र प्रसाद मालवीय
3	625-324	श्री रामगोपाल शिल्पकार
4	625-327	श्री बसंत कुमार वासनिक

(ii) बंद लिफाफे की अनुशंसाएँ - निरंक

(iii) परिभ्रमण के प्रकरण - निरंक

(v) परिभ्रमण बंद लिफाफा प्रकरण -

स. क्र	दि. 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्रों का नाम	कारण
1	625-170	श्री एस.सी.व्यास	विभागीय जांच एवं वर्ष मार्च 06 एवं 07 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध

(स) अनुसूचित जनजाति वर्ग

(i) उपयुक्त

स. क्र	दि. 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्रों का नाम
1	625-334	श्री भारत सिंह भाबर
2	2158	श्री मदन सिंह डाबर
3	2183	श्री नरेन्द्रपाल सिंह
4	2188	श्री बी.एस.धुर्वे
5	2353	श्री सेवक राम उइके

Amr

J

(ii) बंद लिफाफे की अनुशंसाएं -

स. क्र	दिनांक 31.10.2000 की संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम	कारण
1	625-333	श्री राजाराम वर्मा	विभागीय जांच
2	2182	श्री मगन सिंह अजनारे	विभागीय जांच
3	2197	श्री बी.के.गौर	विभागीय जांच

(iii) परिभ्रमण के प्रकरण :- निरंक

(iv) परिभ्रमण में बंद लिफाफा :-

स. क्र	दिनांक 31.10.2000 की संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम	कारण
1	2069	श्री. लेखराज नायर	विभागीय जांच एवं वर्ष 2004, 2006 एवं 2007 का गो.प्र.अनुपलब्ध.

(v) अनुपयुक्त

स. क्र	दिनांक 31.10.2000 की संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम	कारण
1	802	श्री सज्जन सिंह चौहान	निर्धारित बैचमार्क पूर्ण नहीं होना।
2	1750	श्री दिलीप शिन्दे	निर्धारित बैचमार्क पूर्ण नहीं होना।

Gautam
22.04.15

(प्रो.एस.पी.गौतम)
सदस्य
लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष

Mr
22.04.15

(राधेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग
सदस्य

Choube

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सदस्य

Pr

(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
सदस्य